सार-समाचार

तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक को तीन साल की सजा सुनाई

कोटा, (निसं)। मारपीट व छीना- झपटी के दर्ज मामले में कार्यवाही नही करने की एवज में रिश्वत मांगने के 20 साल पुराने मामले में एसीबी न्यायालय ने सुनवाई करते हुए पकड़े गये आरोपी दादाबाड़ी थाने के तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक सत्यनारायण यादव को दोषी मानते हुए 3 साल की सजा सुनाई साथ ही 30 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। सहायक निदेशक अभियोजन जया गौतम ने बताया कि 26 अप्रैल 2005 को परिवादी टीकमचंद ने कोटा एसीबी को शिकायत दी थी। शिकायत में कहा था कि उसके व एक अन्य के खिलाफ दादाबाड़ी थाने में मारपीट व छीना- झपटी का मामला दर्ज हुआ था। मामले में कार्यवाही होने के बाद मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी एएसआई सत्यनारायण यादव उसके पास आया और कहा कि वारदात में एक टाटा सूमो काम में ली थी उसको जब्त करना है और एक अन्य आरोपी है उसको गिरफ्तार करना है। परिवादी ने शिकायत में कहा कि मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी एएसआई सत्यनारायण यादव ने टाटा सूमो जब्त नही करने एवं एक आरोपी को गिरफ्तार नही करने की एवज में 2 हजार के रिश्वत की मांग की है। एसीबी टीम ने परिवादी की शिकायत का सत्यापन कराने के बाद मामले में रिश्वत मांगने की पुष्टि होने के बाद दादाबाड़ी थाने के एएसआई सत्यनारायण यादव को एक हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। एसीबी टीम ने मामले में अनुसंधान करते हुए आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। मामले में 13 गवाहों के बयान दर्ज कराये गये।

कांग्रेसियों ने सदबुद्धि यज्ञ किया

रामगंजमंडी, (निसं) पिपलोदी स्कूल हादसे को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार व शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए गुरुवार को शहीद पन्नालाल चौराहा पर धरना व सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। भारी बारिश के बावजूद कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता व पदाधिकारी धरना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी (ए और बी), नगर कांग्रेस, मंडल कांग्रेस, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवादल सहित अन्य संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहे। जिसको लगभग आधा दर्जनों पदाधिकारियों ने सम्बोधित किया। जिसमें उन्होंने कहा कि पिपलोदी गांव में हादसे में 7 मासूम बच्चों की मौत हो गई। लेकिन सरकार ने उनका अंतिम संस्कार तक रीति-रिवाजों से नहीं करवाया। टायर डालकर बच्चों का दाह संस्कार करना उन मासूमों की गरिमा का अपमान है। सरकार ने हादसे के तुरंत बाद स्कूल के बचे हुए भवन को गिरा दिया, ताकि सच्चाई दबाई जा सके और जांच न हो पाए। वहीं सरकार से मांग की गई कि मृतक बच्चों के परिजनों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा और एक-एक परिजन को सरकारी नौकरी दी जाए। पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि हादसे में सात मासूमो के काल के ग्रास में समा जाने के बाद भी शिक्षा मंत्री ढोल-नगाड़ों व फूलमालाओं से स्वागत करवा रहे हैं। वह हादसा स्थल तक नहीं पहुंचे। ऐसे असंवेदनशील व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई

रामगंजमण्डी, (निसं)। राजकीय सार्वजनिक जिला पुस्तकालय रामगंजमंडी में गुरुवार को उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता पुस्तकालय के पाठक कन्हैयालाल मीणा द्वारा की गई तथा मुख्य अतिथि के रूप में एरन्ता गुर्जर व प्रिया कुमारी आदि मंचासीन रहे। इस अवसर पर सर्वप्रथम मां सरस्वती तथा मुंशी प्रेमचंद के छायाचित्र में माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पुस्तकालय के पाठकों तथा गणमान्य नागरिकों का स्वागत कैलाश चंद्र राव पुस्तकालय अध्यक्ष, हितेश चौधरी व नंद सिंह हाड़ा होमगार्ड द्वारा किया गया। कैलाश चंद्र राव पुस्तकालय द्वारा मुंशी प्रेमचंद के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया एवं मुंशी प्रेमचंद के सादा जीवन उच्च विचार की धारणाओं को अपने जीवन में उतरने की प्रेरणा दी गई। इस अवसर पर बलराम गुर्जर, सुनील मीणा व रोहित सहित लगभग 30 पाठक उपस्थित रहे। मंच संचालन तथा अतिथियों का आभार कैलाश चंद्र राव पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा किया गया।

आज जलापूर्ति बाधित रहेगी

कोटा, (निसं)। पीएचईडी दादाबाड़ी चौकी क्षेत्र में आर.ए.सी. के सामने हनुमान बस्ती की मुख्य वितरण पाईप लाईन पर बरसाती नाले का निर्माण कार्य चल रहा है। पाईप लाईन को बेण्ड लगाकर उठाए जाने का कार्य शुक्रवार प्रात: 11 से सांय 4 बजे तक किया जाना है। उक्त अवधि में दादाबाड़ी फीडर के शटडाउन के कारण दादाबाड़ी एवं दादाबाड़ी विस्तार योजना, जवाहर नगर, किशोरपुरा, अधरशिला, वक्फ नगर, प्रताप नगर, शास्त्री नगर, शक्ति नगर आदि क्षेत्रों में शटडाउन के दौरान जलापूर्ति पूर्ण रूप से बाधित रहेगी तथा सांयकाल की सप्लाई कम दबाव से की जाएगी। 2 अगस्त से पेयजल सप्लाई सामान्य रूप से की जाएगी। अधिशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर खंड प्रथम प्रकाश वीर नाथनी ने उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों के पेयजल उपभोक्ताओं से अपील की है कि 1 अगस्त को प्रात: काल की सप्लाई के समय ही आवश्यक मात्रा में पेयजल संग्रहण करके रखें।

राजकीय अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए आवेदन आमंत्रित

कोटा, (निसं)। राजकीय अल्पसंख्यक बालक एवं बालिका छात्रावास टैगोर नगर में कक्षा 9 से स्नातकोत्तर नियमित कक्षाएं एवं तकनीकी, व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत् अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं से सत्र 2025-26 में नि:शुल्क आवास एवं भोजन व्यवस्थाओं सहित छात्रावासों में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी त्रिलोक चन्द मीणा ने बताया कि पात्र छात्र-छात्राएं कार्यालय से नि:शुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप मय फोटो स्वं प्रमाणित, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड। टी.सी. की प्रति, गत वर्ष की अंकतालिका, इस सत्र में अध्ययनरत् संस्था का प्रमाण पत्र, फीस रसीद व आई.डी। परिवार की सहमती का शपथ पत्र। जनआधार, बैंक पास बुक की प्रति व परिवार के सदस्यों का ग्रुप फोटो सहित दस्तावेजों के साथ 5 अगस्त तक कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कोटा में जमा करा सकते हैं।

खाली पड़े भूखण्ड में भरे पानी में नहाते समय डूबने से युवक की मौत हुई

कोटा, (निसं)। आरकेपुरम थाना इलाके में खाली पड़े भूखण्ड में भरे बारिश के पानी में नहाने के दौरान एक युवक सात फीट गहरे गड्ढे में डुब गया। जानकारी के अनुसार युवक के कपड़े और साईकिल गड्ढे के बाहर पड़े थे, जहां से निकल रहे युवक की पहचान के राहगीर ने युवक के डूबने की सूचना परिजनों को दी। सूचना पाकर परिजन मौके पर पहुंचे और युवक को बाहर निकालकर अस्पताल लेकर गये। जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। आरकेपुरम थानाधिकारी महेन्द्र मारू ने बताया कि मृतक आंवली रोजड़ी निवासी रोहित (19) जो साईकिल से किसी काम के लिये जाने की कहकर घर से निकला था, इलाके में खाली पड़े भुखण्ड में बारिश का पानी भरा हुआ था। जहां सात फीट गहरे गड्ढे में जाने से डूब गया। थानाधिकारी ने बताया कि संभवत: कि पानी में डुबने से युवक की मौत हो गई। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया।

विश्व स्तनपान सप्ताह आज से

कोटा, (निसं)। शिशु स्तनपान को प्रोत्साहन देने व इसके महत्व के प्रति जागरूकता के लिए 1 से 7 अगस्त तक जिले में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान चिकित्सा संस्थानों में स्तनपान समर्थन संबधी गतिविधियां होंगी। सीएमएचओ डॉ. नरेन्द्र नागर ने बताया कि इस वर्ष की थीम 'इन्वेस्ट इन ब्रेस्टफीडिंग, इन्वेस्ट इन द फ्यूचर' अर्थात प्रत्येक मां को स्तनपान के लिए आवश्यक समर्थन और जानकारी प्रदान करना व मां की इच्छानुसार स्तनपान जारी रखने हेतु सहयोग कराना है। उन्होनें बताया कि स्तनपान के महत्व को उजागर करने व देशभर में शिशुओं के स्वास्थ्य में सुधार लोन के उद्देश्य से स्तनपान के संरक्षण, प्रचार एवं समर्थन के लिए प्रत्येक वर्ष अगस्त माह के प्रथम सप्ताह (1 से 7 अगस्त) को स्तनपान सप्ताह के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है।

तेज बारिश के चलते दुकानें ढही

भवानीमण्डी, (निसं)। भवानीमंडी में नगर पालिका द्वारा बरसाती नाले पर बनाई गई 8 छोटी दुकानें रातभर में हुई लगातार तेज बारिश के चलते ढह गई है घटना गुरुवार सुबह 5 से छह बजे बीच होने के चलते कोई जनहानि नहीं हुई है यह दुकानें नगर पालिका द्वारा नई सब्जीमंडी में थड़ी ठेले वालों के लिए बनाई गई थी जहाँ नगर का बरसाती नाला उफान आने के बाद यह दुकानें ढह गई जिसमें रखा समान भी मलबे के नीचे दब गया जिसे मौके पर पहुंची नगर पालिका की टीम निकला वहीं नाले के ऊपर से सावल मशीन से मलबा हटाया गया। भवानीमंडी रातभर से हो रही तेज बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है जहाँ खेत-खलियानों में पानी भर गया है साथ ही नदी नाले भी उफान पर आ गए।

भवानीमण्डी क्षेत्र में तेज बारिश के चलते दुकानें ढही।

भवानीमंडी में अभी तक 26 इंच बारिश हो चुकी है सुबह 8.00 बजे तक 59 एमएम तथा शाम 4 बजे तक 11 एमएम बारिश दर्ज की गई। 'लगातार हो रही बारिश के चलते भवानीमंडी के पिपलाद डैम के दो गेट खोल दिए गए हैं। दुकाने गिरने के बाद प्रशासन चेता है नई सब्जीमंडी नाले पर बनी अन्य दुकानों को भी खाली करवाया गया है ताकि कोई घटना घटित न हो।

तुलसीदास जयंति समारोह में 41 छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत किया

कोटा, (निसं)। श्रीराम मंदिर प्रबंधक समिति की ओर से गुरूवार को श्रीराम मंदिर परिसर के माधव सत्संग भवन में गोस्वामी तुलसीदास जयंति समारोह का आयोजन किया गया।

समारोह में श्रीरामचरित मानस ज्ञान प्रतियोगिता में अच्छे अंक लाने वाले 41 छात्र-छात्राओं को अतिथियों द्वारा पुरूस्कार देकर पुरूस्कृत किया गया।

श्रीराम मंदिर प्रबंधक समिति के अध्यक्ष दामोदर अग्रवाल एवं महामंत्री परमानंद शर्मा ने बताया कि माधव सत्संग भवन श्रीराम मंदिर कोटा जंक्शन पर तुलसी जयंती समारोह का आयोजन किया गया, समारोह के मुख्य अतिथि कोटा उत्तर विधायक शांति कुमार धारीवाल थे एवं अध्यक्षता कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने की। समारोह की विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ममता तिवारी थी।

श्रीरामचरित मानस प्रतियोगित के विजेताओं को पुरस्कृत किया।

इस मौके पर बाबा निरंजन नाथ और राष्ट्रीय संत बाल योगी ब्रह्मानंद महाराज ने अपने उद्बोधन मे गौस्वामी तुलसीदास पर अपने विचार प्रकट किये। मंचासिन अतिथियो ने भी अपने विचार प्रकट करते हुए मंदिर के विकास व मंदिर समिति द्वारा चलाये जा रहे चिकित्साह के क्षेत्र में सहयोग के लिये मंदिर समिति को आश्वासन दिया।

श्रीराम मंदिर समिति के सभापति डॉक्टर सुधीर उपाध्याय ने बताया की तुलसी जयंती के उपलक्ष में अतिथियों द्वारा 41 छात्र-छात्राओं को पुरस्कार दिए गए एक अल्पसंख्यक छात्र को पुरस्कार दिया गया एवं 25 विद्यालयों के प्रिंसिपल एवं अध्यापकों को प्रेरक पुरस्कार दिए गए एवं समय-समय पर श्रीराम मंदिर प्रबंध समिति को सहयोग करने वाले भामाशाहों को भी सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम के संयोजक कमल प्रसाद शर्मा ने अपना प्रतिवेदन पढ़कर सुनाया। इस मौके पर देवकीनंदन शर्मा, हरिप्रसाद अग्रवाल, राजेंद्र चावला, हरि नारायण शुक्ला, अर्जुन सिंह चंदेल, कन्हैया लाल मेवाड़ा, बाबूलाल शर्मा, रघुनंदन विजय, सुधीर सरोजा, कृष्ण कुमार अय्यर, दुर्गा प्रसाद अग्रवाल आदि सदस्य मौजूद थे।

पोषण किट वितरित गये

कोटा, (निसं)। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के नेतृत्व में सांगोद विधानसभा क्षेत्र में चलाए सुपोषित मां अभियान के तहत गुरुवार को देवली भाजपा मण्डल के विभिन्न ग्राम पंचायतों में गर्भवती महिलाओं को पोषण किट वितरित किए गए। उल्लेखनीय है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की प्रेरणा से अभियान संचालित किया जा रहा है। देवली मण्डल अध्यक्ष विजय शंकर सैनी ने बताया कि ग्राम पंचायत कुराड़ हनुमान मंदिर, ग्राम पंचायत खजुरी में मालियों का मंदिर, आमली झाड़ पर, ग्राम पंचायत-देवली में महादेव मंदिर पर तथा ग्राम पंचायत बालूहेड़ा में हनुमान मंदिर, बालूहेड़ा चौकी पर किट वितरित किए गए। इस दौरान सांगोद विधानसभा की पंजीकृत 1500 गर्भवती महिलाओं को पोषण किट का वितरण किए जा रहे हैं। किट में गेहूं, मक्का, बाजरे का आटा, मल्टीग्रेन दलिया, चावल, सोया बड़ी, मूंग छिलका, उड़द दाल, चना दाल, मूंग दाल मोगर, गुड़, मूंगफली दाना, भुना चना, पिंड खजूर, मूंग के लड्डु, मूंगफली तेल, आंवला कैंडी रखी गई है। यह पोषण किट गर्भवती महिलाओं को 10 महीने तक हर महीने दिया जाएगा। इस अवसर पर पूर्व मंडल अध्यक्ष विष्णु मालव, जितेंद्र गुर्जर, जसवंत गुर्जर, अंकित राठौड़, राजेश मालव, रघुराम मेहता, हेमराज सुमन, छोटूलाल सुमन, बनवारी मालव, सोनू गुर्जर, हरीश सुमन समेत कई लोग मौजूद रहे।

एसडीपी डोनेट कर मानवीय धर्म निभाया

कोटा, (निसं)। लायंस क्लब कोटा टेक्नो के निदेशक व टीम जीवनदाता के संयोजक भुवनेश गुप्ता ने बताया कि मरीज प्रद्युम्न के लिए एबी नेगेटिव की आवश्यकता थी, परिवार के साथ शहर की कई स्वयंसेवी संस्थाएं एबी नेगेटिव दुर्लभ ग्रुप डोनर्स की तलाश में जुट गई, सोशल मीडियों पर संदेश भेजे गए लेकिन यह ऐसा ग्रुप हैं जिसके चुनिंदा ही लोग शहर में हैं, उसमें भी एसडीपी डोनेशन की प्रक्रिया को पूरा कर पाना हर किसी के लिए संभव ने ही है। गुप्ता ने कहा कि ऐसे में हमने लायंस क्लब कोटा टेक्नो के सदस्य किशन झा एबी नेगेटिव एसडीपी डोनेट की।

14 किलो अफीम व 204 किलो डोडा-चूरा जब्त

कोटा, (निसं)। राजस्थान में अवैध मादक पदार्थो की तस्करी व तस्करों की धरपकड़ के लिये चलाये जा रहे अभियान के तहत केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो टीम ने दो अलग-अलग स्थानो पर कार्यवाही की।

केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की एक टीम ने मुखबीर की सूचना पर जिला उदयपुर के तहसील भिंडर के विजय मगरी गांव में एक घर पर छापामार कार्यवाही करते हुए अवैध मादक पदार्थ 14.260 किलोग्राम अफीम एवं 204.570 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा बरामद किया एवं कार्यवाही के दौरान 24,00,000 (चौबीस लाख रुपये) नकद बरामद किए। यह कार्यवाही केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के उप-नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल के निर्देशन में की गई। उप-नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल ने बताया कि मुखबीर से सूचना मिली थी कि जिला उदयपुर के तहसील भिंडर के विजय मगरी गांव में एक व्यक्ति ने अपने निवास पर भारी मात्रा में अवैध अफीम और अवैध डोडा चूरा जमा करके अपने ढाबे पर ट्रक चालकों को अवैध अफीम व डोडा चूरा बेचता है। उक्त सूचना पर सीबीएन कोटा, चित्तौड़गढ़ डिवीजन प्रथम और तृतीय के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम गठित की गई और टीम को रवाना किया गया।

टीम ने कार्यवाही करते हुए मुखबीर द्वारा बताये गये उक्त घर पर छापा मारा और घर में छुपाए गए मादक पदार्थ अफीम कुल 14.260 किलोग्राम एवं 204.570 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा बरामद किया साथ ही टीम ने मौके से 24 लाख रुपये नकद भी बरामद किए। कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बरामद अफीम, डोडा चूरा और 24 लाख रुपये नकद जब्त किये गये और एनडीपीएस एक्ट में कार्यवाही करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आगे की जांच प्रक्रिया जारी है।

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ-15/कु.भू.रू./2025/827 विज्ञप्ति दिनांक:-31.7.2025

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम कोटड़ी योजना "बजरंग नगर" खसरा नं. 123 में स्थित भूखंड संख्या 224 के ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु प्राधिकरण कार्यालय में 1. गोविन्द हेमराजानी पुत्र श्री श्रीचंद 2. राहुल बबलानी पुत्र श्री नरेश बबलानी 3. विनोद आहूजा पुत्र श्री किशन लाल आहूजा 4. ईश्वर लाल जीवनानी पुत्र ओची राम जीवनानी द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। भूखंड संख्या 224 का पट्टा क्रमांक 1200 दिनांक 16.10.2002 को श्रीमती रेजीना मेरी पत्नी श्री एस. कनकराजन के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टेधारी द्वारा भूखंड संख्या 224 का बेचान जर्ये पंजीकृत मुख्तार आम 1. सनील अहूजा पुत्र श्री किशन लाल 2. दिलीप सिंह पुत्र श्री हरविन्दर सिंह 3. राधिका सहित्या पत्नी श्री हरगोविन्द सहित्या 4. मुरलीधर ढींगरा पुत्र स्व. श्री अर्जुन देव 5. कपिल कुमार अम्बवानी पुत्र श्री लक्ष्मणदास अम्बवानी जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 13.06.2025 से आवेदकों को कर दिया गया है।

अत: 1. गोविन्द हेमराजानी पुत्र श्री श्रीचंद 2. राहुल बबलानी पुत्र श्री नरेश बबलानी 3. विनोद आहूजा पुत्र श्री किशन लाल आहूजा 4. ईश्वर लाल जीवनानी पुत्र ओची राम जीवनानी के नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ11/विक्रय/2025/420 दिनांक:-31.7.25

रजिस्ट्री चाहने बाबत आम सूचना

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा आवास/भूखंड संख्या-1653 बसंत विहार केशवपुरा-9 योजना का आवंटन न्यास के पत्र क्रमांक-458 दिनांक 10.04.1985 द्वारा श्री सुरेश चन्द्र पुत्र श्री जानकी प्रसाद को आवंटित किया गया था। श्री सुरेश चन्द्र के द्वारा श्रीमती शशी गर्ग पत्नी श्री प्रमोद गर्ग को उक्त भूखंड की कार्यवाही के संबंध में मुख्तारआम नियुक्त किया गया है। श्रीमती शशी गर्ग पत्नी श्री प्रमोद गर्ग के द्वारा मुख्तारआम के आधार पर उक्त भूखंड की रजिस्ट्री चाही गई है। श्रीमती शशी गर्ग पत्नी श्री प्रमोद गर्ग के द्वारा अपने नाम उक्त भूखंड की रजिस्ट्री हेतु आवेदन किया गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है यदि इस विक्रय स्वीकृति की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिन के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति दर्ज करावे अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास/भूखंड संख्या-1653 बसंत विहार केशवपुरा-9 योजना की रजिस्ट्री श्रीमती शशी गर्ग पत्नी श्री प्रमोद गर्ग नाम से जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 1153 जाहिर आम सूचना दिनांक - 31.7.25

आवास संख्या 1-ग-4 दादाबाड़ी कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री माणक चन्द जैन पुत्र श्री धन्नालाल को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री माणक चन्द जैन पुत्र श्री धन्नालाल द्वारा दिनांक 26.09.1977 को अपने पक्ष में करवाया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री माणक चन्द जैन पुत्र श्री धन्नालाल की मृत्यु दिनांक 15.03.2021 को एवं इनकी पत्नी श्रीमती राजकुमारी की मृत्यु दिनांक 08.08.2015 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु पश्चात इनके वारिसानों में श्री सुनील कासलीवाल पुत्र श्री माणक चन्द जैन द्वारा दिनांक 13.06.2025 को जरिये हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) आलेखित कर श्री अनिल कुमार जैन पुत्र स्व. श्री माणक चन्द जैन एवं श्री अजय कासलीवाल पुत्र स्व. श्री माणक चन्द जैन के पक्ष में हकत्याग किया गया। श्री अनिल कुमार जैन पुत्र स्व. श्री माणक चन्द जैन एवं श्री अजय कासलीवाल पुत्र स्व. श्री माणक चन्द जैन द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 1-ग-4 दादाबाड़ी कोटा का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, घोषणा पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।

अत: उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, घोषणा पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर श्री अनिल कुमार जैन पुत्र स्व. श्री माणक चन्द जैन एवं श्री अजय कासलीवाल पुत्र स्व. श्री माणक चन्द जैन के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापनश्री अनिल कुमार जैन पुत्र स्व. श्री माणक चन्द जैन एवं श्री अजय कासलीवाल पुत्र स्व. श्री माणक चन्द जैन के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री अनिल कुमार जैन पुत्र स्व. श्री माणक चन्द जैन एवं श्री अजय कासलीवाल पुत्र स्व. श्री माणक चन्द जैन के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 1134 जाहिर आम सूचना दिनांक - 31.7.25

आवास संख्या 2-झ-4 दादाबाड़ी कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री अखिलेश कुमार पुत्र श्री हरिशंकर गुप्ता को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री अखिलेश कुमार पुत्र श्री हरिशंकर गुप्ता द्वारा दिनांक 21.06.1990 को अपने पक्ष में करवाया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री अखिलेश कुमार पुत्र श्री हरिशंकर गुप्ता की मृत्यु दिनांक 24.03.2017 को हो जाने के उपरांत उक्त आवास का हस्तांतरण रिलीज डीड के आधार पर दिनांक 27.07.2018 को श्री अमित गुप्ता पुत्र स्व. श्री अखिलेश कुमार के नाम किया गया। तत्पश्चात श्री अमित गुप्ता पुत्र स्व. श्री अखिलेश कुमार द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 09.07.2025 को श्रीमती हीना खण्डेलवाल पत्नी श्री विजय कुमार एवं श्रीमती सीमा खण्डेलवाल पत्नी श्री यशवन्त खण्डेलवाल को संयुक्त रुप से किया गया। श्रीमती हीना खण्डेलवाल पत्नी श्री विजय कुमार एवं श्रीमती सीमा खण्डेलवाल पत्नी श्री यशवन्त खण्डेलवाल द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 2-झ-4 दादाबाड़ी कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मंडल अभिलेख में संयुक्त रुप से दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अत: इस आवास के मंडल अभिलेख में श्रीमती हीना खण्डेलवाल पत्नी श्री विजय कुमार एवं श्रीमती सीमा खण्डेलवाल पत्नी श्री यशवन्त खण्डेलवाल का नाम विक्रय पत्र के आधार पर संयुक्त रुप से दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि इस आवास के मंडल अभिलेख में श्रीमती हीना खण्डेलवाल पत्नी श्री विजय कुमार एवं श्रीमती सीमा खण्डेलवाल पत्नी श्री यशवन्त खण्डेलवाल का नाम विक्रय पत्र के आधार पर संयुक्त रुप से दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में श्रीमती हीना खण्डेलवाल पत्नी श्री विजय कुमार एवं श्रीमती सीमा खण्डेलवाल पत्नी श्री यशवन्त खण्डेलवाल का नाम विक्रय पत्र के आधार पर संयुक्त रुप से दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

कृषि विपणन राजस्थान

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति 'स' श्रेणी अटरू जिला बारां (राज.)

Tel./Fax No- 07451-294238, E-mail : apmcatru36@gmail.com, kums.atru@rajasthan.gov.in

क्रमांक : 275-287 दिनांक : 30.07.2025

आवंटन सूचना

कृषि उपज मण्डी समिति अटरू के मुख्य मण्डी प्रांगण अटरू एवं गौण मंडी प्रांगण कवाई में रिक्त भूखण्डों/निर्मित दुकान मय गोदाम को 99 वर्षीय लीज पर द्वितीय एंव पश्चातवर्ती चरणों में अचल संपति आवंटन नीति-2005 एंव समय-समय जारी संशोधनो के तहत निर्धारित नीति, नियम एंव प्रक्रिया के अनुसार मंडी समितियों के अनुज्ञापत्रधारी व्यापारियों, नवईच्छुक व्यवसाय जिनको पूर्व में मण्डी प्रांगण में रिक्त भूखण्डों/निर्मित दुकान मय गौदाम आवंटित नही हुऐ हो एवं गत दो वित्तीय वर्ष से अधिक समय से मण्डी क्षेत्र मे स्वयं के नाम से राजस्व अभिलेख में कृषि भूमि धारक करने एंव मण्डी क्षेत्र में स्थाई रूप से निवास करने वाले कृषको, कृषि प्रसंस्करण ईकाइयों, द्विव्यांग अनुज्ञापत्रधारी व्यापारियों, एवं मंडी क्षेत्र से बाहर के अनुज्ञापत्रधारियों कृषक उत्पादक संगठन (FPO) /कम्पनी से निर्धारित प्रपत्र मे आवेदन पत्र पर आमन्त्रित किये जाते है :-

क्र. सं.	रिक्त भूखण्डों / दुकान गोदाम का विवरण	साईज वर्गफुट में	कुल रिक्तियां (दुकान/भूखण्ड)	आरक्षित									
				अनुज्ञापत्रधारियों हेतु					कृषक हेतु			मण्डी यार्ड के बाहर स्थित अनुज्ञापत्रधारी तेल मीलों व अन्य कृषि जिन्स प्रसंस्करण इकाई	अनुज्ञापत्र धारी कृषक उत्पादक संगठन (FPO) /कम्पनी
				सामान्य	द्विव्यांग	अनु. जाति	अनु. जन जाति	राज्य की अन्य मण्डी समिति के अनुज्ञापत्रधारी व्यापारी	सामान्य	अनु. जाति	अनु. जन जाति		
1	मुख्य मण्डी अटरू में दुकान एंव गोदाम मय प्लेटफार्म हेतु	20.6 x 45+20	34	14	1	4	3	2	5	1	1	2	1
2	गौण मण्डी कवाई में दुकान एंव गोदाम मय प्लेटफार्म हेतु	20 x 60+20	20	8	1	2	2	1	3	1	0	1	1
3	मुख्य मण्डी अटरू में निर्मित रिक्त दुकानें	दुकान मय गोदाम-1 (20.6 x 45+20) एंव दुकान-1 (20.6 x 25+20)	2 (1+1)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

इच्छुक आवेदक 200/- रूपये नगद जमा करवाकर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते है। आवेदन पत्र आवश्यक पूर्ति कर वांछित दस्तावेज धरोहर राशि 10,000/- रू0 के साथ दिनांक 03.09.2025 को सांय 4:00 बजे तक कार्यालय में जमा करा सकते है। धरोहर राशि का डी.डी./चैक कृशि उपज मण्डी समिति अटरू के नाम से देय होगा। नियत समय पश्चात कोई आवेदन स्वीकार नही होगा। आवंटन हेतु आरक्षित दर आवंटन बैठक तिथि को प्रभावी डी.एल.सी. दर का आवंटन नीति अनुसार निर्धारित प्रतिशत होगी। भूखण्डों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है। आवंटन सम्बन्धित अन्य जानकारी/शर्ते विभागीय वेबसाईट एवं किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में देखी जा सकती है।

राज.संवाद/सी/25/7257 सचिव प्रशासक

कृषि विपणन राजस्थान

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति "अ" श्रेणी छबडा जिला बारां (राज0)

Tel./Fax No- 07452-222265, E-mail : kums.chabra@rajasthan.gov.in

क्रमांक/आवंटन/2025-26/311-324 दिनांक :- 30.07.2025

आवंटन सूचना

कृषि उपज मण्डी समिति छबडा के मुख्य मण्डी प्रांगण छबडा एवं गौणमंडी प्रांगण छीपाबडौद (गल्ला मंडी) में रिक्त भूखण्डों/निर्मित दुकान मय गौदाम, फुटकर दुकान (जैसी भी स्थिति में है) को 99 वर्षीय लीज पर द्वितीय एंव पश्चात वर्ती चरणों में अचल संपति आवंटन नीति-2005 एंव समय-समय जारी संशोधनो के तहत निर्धारित नीति, नियम एंव प्रक्रिया के अनुसार मंडी समितियों के अनुज्ञापत्रधारी व्यापारियों, नवईच्छुक व्यवसाय जिनको पूर्व में मण्डी प्रांगण में रिक्त भूखण्डों/निर